संख्या-2022/2026/2009/22-2-2025-17(147)/2020

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 29 जुलाई, 2026*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश पुत्र श्री रामेश्वर, निवासी जनपद-हरदोई की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-01.09.2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश पुत्र श्री रामेश्वर, ग्राम-नयागाँव, मजरा-मझिगवाँ, थाना-बेनीगंज, जनपद-हरदोई का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 05.06.2010 को अपनी पत्नी को जलाकर हत्या करने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-860/2010 में भा०द०वि० की धारा-302 के अन्तर्गत मा न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, हरदोई के दण्डादेश दिनांक 04.11.2016 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में लम्बित है। बंदी दिनांक 29.06.2022 को जमानत/मुचलके पर रिहा हो चुका है। बंदी द्वारा दिनांक 29.06.2022 सक अपरिहार 12 वर्ष, 00 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 13 वर्ष, 06 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 29.06.2022 तक बन्दी की 48 वर्ष 01 माह की आयु एवं मा0 सत्र न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 29.06.2022 तक अपरिहार 12 वर्ष, 00 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 13 वर्ष, 06 माह, 04 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बंदी दिनांक 29.06.2022 से जमानत मुचलके पर रिहा होने, बंदी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (पत्नी को जलाकर हत्या) एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश (बन्दी संख्या-28170) पुत्र श्री रामेश्वर, निवासी जनपद-हरदोई की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या-1022/2026/2009(1)/22-2-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in